**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2969**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**राजस्थान से पोस्ते का चूर्ण/पोस्ते की भूसी की तस्करी**

**2969. श्री प्रताप सिंह बाजवाः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि राजस्थान से देश के अन्य राज्यों में भारी मात्रा में पोस्ते के चूर्ण/पोस्ते की भूसी की तस्करी की जा रही है;**

**(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;**

**(ग) क्या राजस्थान में पोस्ते की भूसी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है; और**

**(घ) सरकार द्वारा पोस्ते की भूसी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने तथा उक्त की तस्करी की जांच करने हेतु स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) और (ख): ड्रग विधि प्रवर्तन एजेंसियों ने राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से पोस्ते की भूसी जब्त की है। वर्ष 2015 से 2018 (जनवरी तक) को दौरान मुख्यत: राजस्थान (205051.13 किलोग्राम), पंजाब (11019.91 किलोग्राम), मध्य प्रदेश (94060.75 किलोग्राम), हरियाणा (38774.88 किलोग्राम), पश्चिम बंगाल (32751.18 किलोग्राम), जम्मू और कश्मीर (16347.34 किलोग्राम) तथा उत्तर प्रदेश (14991.91 किलोग्राम) से 5,42,413.51 किलोग्राम पोस्ते की भूसी जब्त की गई है।

(ग) और (घ): केन्द्र सरकार ने 01.04.2016 से पोपी स्ट्रा को पूरी तरह से उखाड़ने के लिए एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 74(क) के अंतर्गत राजस्थान सरकार सहित राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) अवैध पोस्ते/गांजे की खेती को नियमित आधार पर नष्ट करता है।

\*\*\*\*\*